


तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	<p>4.5.18 यह पत्रावली राजस्व कैम्प चोहिलावाली में पेश हुई। अभिभाषक वादीगण व अभिभाषक प्रतिवादी उप0। अभिभाषक वादीगण व अभिभाषक प्रतिवादी संख्या-1 ने दिनांक 11-10-2017 को राजीनामा प्रस्तुत किया हुआ है तथा मुताबिक राजीनामा उक्त वादपत्र का निस्तारण करने का निवेदन किया।</p> <p>पत्रावली का अवलोकन किया। वादीगण व प्रतिवादी ने राजीनामा में यह कथन किये कि वादीगण व प्रतिवादी संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य हैं जो आपस में पिता, पुत्र का सम्बन्ध है। प्रतिवादी संख्या-1 के नाम चक 10 एचएमएच के खाता संख्या-17/20 में कुल 3.2890 हैक्टेयर व चक 12 एचएमएच के खाता संख्या-21/17 में 0.506 हैक्टेयर दर्ज है। वादीगण ने अपने वादपत्र के साथ पूर्वजों के नाम दर्ज भूमि की जमाबन्दी चक 10 एसएसडब्ल्यू सम्वत 2037 की प्रतिलिपि प्रस्तुत की जिससे यह साबित है कि प्रश्नगत कृषि भूमि पैतृक सम्पति है जिसमें वादीगण का का जन्म से ही अधिकार है। राजीनामा में प्रतिवादी संख्या-1 ने यह सहमति दी है कि प्रश्नगत कृषि भूमि वह अपने नाम नहीं रखना चाहता। इस कारण प्रश्नगत कृषि भूमि का मुताबिक राजीनामा निस्तारण किया जाना न्यायोचित है।</p> <p>उपरोक्त परिस्थितियों में वादपत्र वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है कि वादीगण चक 10 एचएमएच के खाता संख्या-17/20 में कुल 3.2890 हैक्टेयर व चक 12 एचएमएच के खाता संख्या-21/17 में 0.506 हैक्टेयर बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं तथा प्रतिवादी संख्या-1 का नाम प्रश्नगत खाता से कलमजन करने के आदेश दिये जाते हैं तथा आशय की खाता विभाजन की डिक्री पारित की जाती है कि वादी संख्या-1 दर्शन सिंह पुत्र श्री गुरदेव सिंह को चक 12 एच.एम.एच. के खाता संख्या-21/17 पत्थर नम्बर-143/284 (52) के किला नम्बर-24, 25/0.228 कुल कित्ता 2 कुल क्षेत्रफल 0.506 हैक्टेयर (0.481 हैक्टेयर व 0.025 हैक्टेयर गैर मुमकिन रास्ता) एवं चक 10 एस.एस.डब्ल्यू "बी" के खाता संख्या-17/20, पत्थर नम्बर-142/291 (27) किला नम्बर- 3/0.228, 4/0.228, 5/0.228, 6 ता 8, (1.443 हैक्टेयर व 0.075 हैक्टेयर गैरमुमकिन खाला) किला नम्बर-13/0.253 हैक्टेयर अनकमाण्ड व वादी संख्या-2 कुलदीप सिंह पुत्र श्री गुरदेव सिंह को चक 10 एस.एस.डब्ल्यू "बी" के खाता संख्या-17/20, पत्थर नम्बर-142/291 (27) किला नम्बर-1/0.228, 2/0.228, 9 ता 12 (1.468 हैक्टेयर नहरी भूमि व 0.050 हैक्टेयर गैर मुमकिन रास्ता) कृषि भूमि प्राप्त हुई है। उक्तानुसार रकमराज अलग कायम कर राजस्व रिकार्ड में</p>	


सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

अमलदरामद करने के आदेश दिये जाते है। स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत होने पर पर्चा डिक्री जारी हो। बैक ऋण चुकता होने पर अमल दरामद किया जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.05.2018 को कैम्प चोहिलावाली में सुनाया गया।



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

पर्चा डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत:- सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) हनुमानगढ़
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

कैम्प कोर्ट का स्थान चोहिलावाली

पीठासीन अधिकारी :- सुरेन्द्र सिंह पुरोहित, आर.ए.एस.

दर्शन सिंह आदि बनाम गुरदेव सिंह आदि

दावा बाबत 53, 88 आरटीए, राजस्व वाद संख्या:-355/2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरू मेरे बहाजरी श्री विनोद मिश्रा अधिवक्ता-वादीगण व श्री योगेश झोरड़-अधिवक्ता-प्रतिवादी संख्या-1 उपस्थित होकर हुक्म दिया जाता है कि वादपत्र वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है कि वादीगण चक 10 एचएमएच के खाता संख्या-17/20 में कुल 3.2890 हैक्टेयर व चक 12 एचएमएच के खाता संख्या-21/17 में 0.506 हैक्टेयर बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं तथा प्रतिवादी संख्या-1 का नाम प्रश्नगत खाता से कलमजन करने के आदेश दिये जाते हैं तथा आशय की खाता विभाजन की डिक्री पारित की जाती है कि वादी संख्या-1 दर्शन सिंह पुत्र श्री गुरदेव सिंह को चक 12 एच.एम. एच. के खाता संख्या-21/17 पत्थर नम्बर-143/284 (52) के किला नम्बर-24, 25/0.228 कुल कित्ता 2 कुल क्षेत्रफल 0.506 हैक्टेयर (0.481 हैक्टेयर व 0.025 हैक्टेयर गैर मुमकिन रास्ता) एवं चक 10 एस.एस.डब्ल्यू "बी" के खाता संख्या-17/20, पत्थर नम्बर-142/291 (27) किला नम्बर- 3/0.228, 4/0.228, 5/0.228, 6 ता 8, (1.443 हैक्टेयर व 0.075 हैक्टेयर गैरमुमकिन खाला) किला नम्बर-13/0.253 हैक्टेयर अनकमाण्ड व वादी संख्या-2 कुलदीप सिंह पुत्र श्री गुरदेव सिंह को चक 10 एस.एस.डब्ल्यू "बी" के खाता संख्या- 17/20, पत्थर नम्बर-142/291 (27) किला नम्बर-1/0.228, 2/0.228, 9 ता 12 (1.468 हैक्टेयर नहरी भूमि व 0.050 हैक्टेयर गैर मुमकिन रास्ता) कृषि भूमि प्राप्त हुई है। उक्तानुसार रकमराज अलग कायम कर राजस्व रिकार्ड में बैंक ऋण चुकता होने पर अमल दरामद किया जावे।

.....लीज.....मुबलिंग.....
.....बातत..... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह.....
.....से तारीख वसुलयाबी..... बसिब्त मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा
वे दिनांक 4-05-2018 से जारी की गई।

विवरण पक्षकार

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

1. दर्शन सिंह पुत्र श्री गुरदेव सिंह
2. कुलदीप सिंह पुत्र श्री गुरदेव सिंह
जाति जटसिख, निवासीगण गुरुसर, तहसील व जिला हनुमानगढ़-
—वादीगण—

--: बनाम :-

1. गुरदेव सिंह पुत्र श्री अवतार सिंह उर्फ औतार सिंह, जाति जटसिख, निवासी गुरुसर, तहसील व जिला हनुमानगढ़-
2. तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़

--:प्रतिवादीगणा:-

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़